22 मई 2019 तक पुनर्मुद्रण (दुबारा प्रकाशित)

15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर हुए हमले के बारे में रॉयल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी (राजकीय जाँच आयोग) आदेश 2019

(LI 2019/72)

नोट

विधान अधिनियम 2012 के भाग 2 के उपभाग 2 द्वारा प्राधिकृत परिवर्तन इस आधिकारिक पुनर्मुद्रण में किए गए हैं। इस पुनर्मुद्रण के अंत में नोट 4 इसमें शामिल संशोधनों की एक सूची प्रदान करता है।

इस आदेश को डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स (आंतरिक मामलों का विभाग) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

एलिजाबेथ द्वितीय, ईश्वर की कृपा से न्यूज़ीलैंड की रानी और उनकी प्रभुता तथा अधिकार क्षेत्रों, कॉमनवेल्थ (राष्ट्रमंडल) की प्रमुख, धर्म की रक्षक:

माननीय Sir William Gillow Gibbes Austen Young, KNZM: Jacqueline Emma Caine, डॉयरेक्टर—Te Rūnanga o Ngāi Tahu में स्पेशल प्रोजैक्ट्स (विशेष परियोजनाएं) और चिली के लिए न्यूज़ीलैंड के पूर्व राजदूत:

नमस्कार!

हम, इस आयोग द्वारा, 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर हुए हमले के लिए राजकीय जाँच आयोग की स्थापना करते हैं।

हमारे आयोग के गठन परिषद में यह आदेश दिया गया है—

(a) महामहिम महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के लैटर्स पेटेंट के अधिकार के तहत न्यूज़ीलैंड के गवर्नर जनरल के ऑफिस का गठन करते हुए, दिनांक 28 अक्टूबर 1983; * और

(b) Inquiries Act (जाँच अधिनियम) 2013 की धारा 6 के प्राधिकरण के तहत और उस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन; प्रति

(c) कार्यकारी परिषद की सलाह पर और सहमति से। * एसआर 1983/225

प्रस्तावना: क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर हुए हमले की जाँच के लिए राजकीय जाँच आयोग के खंड 4 द्वारा 15 मार्च 2019 को संशोधन आदेश 2019 (LI 2019/105) द्वारा 22 मई 2019 को संशोधित।

आदेश

1 शीर्षक

यह आदेश क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर 15 मार्च 2019 को हुए हमले के बारे में राजकीय जाँच आयोग है आदेश 2019।

2 आरम्भ

यह आदेश *गज़ेट* (राजपत्र) में अधिसूचना की तारीख के बाद के दिन से लागू होता है।

3 व्याख्या (स्पष्टीकरण)

इस क्रम में,—

इन्क्वायरी का मतलब है इस आदेश द्वारा 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर हुए हमले की राजकीय जाँच आयोग की स्थापना।

प्रासंगिक राज्य क्षेत्र एजेंसियों का अर्थ है न्यूज़ीलैंड सुरक्षा खुफिया सेवा, सरकार संचार सुरक्षा ब्यूरो, न्यूज़ीलैंड पुलिस, न्यूज़ीलैंड सीमा शुल्क सेवा, आप्रवासन न्यूज़ीलैंड, और कोई अन्य एजेंसी जिसके काम या आचरण पर, इन्क्वायरी के विचार में, जाँच के संदर्भ की शर्तों को पूरा करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है।

4 राजकीय जाँच आयोग की स्थापना

15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर हुए हमले के लिए राजकीय जाँच आयोग की स्थापना की गई है।

5 सार्वजनिक महत्व की बात जो कि जाँच का विषय है

सार्वजनिक महत्व के जिस मामले के परीक्षण के लिए इन्क्वायरी को निर्देशित किया गया है वह है —

(a) प्रासंगिक राज्य क्षेत्र एजेंसियों को उस व्यक्ति की हमले से पहले की गतिविधियों के बारे में क्या जानकारी थी जिस पर क्राइस्टचर्च में अल नूर मस्जिद और लिनवुड इस्लामिक सैंटर पर 15 मार्च 2019 के हमले से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया है; और

(b) उस जानकारी के परिणामस्वरूप प्रासंगिक राज्य क्षेत्र एजेंसियों ने क्या कार्रवाई (यदि कोई) की थी; और

(c) क्या ऐसे कोई अतिरिक्त उपाय थे जिनका प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियां हमले को रोकने के लिए उपयोग कर सकती थीं; और

(d) भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए संबंधित राज्य क्षेत्र की एजेंसियों को ऐसे कौन से अतिरिक्त उपायों का उपयोग करना चाहिए।

6 इन्क्वायरी के सदस्य और अध्यक्ष

(1) निम्नलिखित व्यक्तियों को इन्क्वायरी का सदस्य नियुक्त किया जाता है:

(a) The Honourable Sir William Gillow Gibbes Austen Young, KNZM:

(b) Jacqueline Emma Caine.

(2) जिस व्यक्ति को इन्क्वायरी का अध्यक्ष बनाया गया है उनका नाम है Honourable Sir William Gillow Gibbes Austen Young, KNZM.

प्रस्तावना: क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर हुए हमले की जाँच के लिए राजकीय जाँच आयोग के खंड 5 द्वारा 15 मार्च 2019 को संशोधन आदेश 2019 (LI 2019/105) द्वारा 22 मई 2019 को प्रतिस्थापित।

7 तारीख जब इन्क्वायरी सबूतों पर विचार करना शुरू कर सकती है

इन्क्वायरी 13 मई 2019 को सबूतों पर विचार करना शुरू कर सकती है।

8 टर्म्स ऑफ रेफरेंस (संदर्भ की शर्तें)

जाँच के लिए संदर्भ की शर्तों को अनुसूची में बयान किया गया है।

9 प्रासंगिक विभाग

जाँच अधिनियम 2013 की धारा 4 के प्रयोजनों के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स इन्क्वायरी के लिए एक **प्रासंगिक विभाग** है और जाँच से संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार है।

अनुसूची

टर्म्स ऑफ रेफरेंस (संदर्भ की शर्तें)

cl 8

1 पृष्ठभूमि

(1) 15 मार्च 2019 को, क्राइस्टचर्च में जब उपासक अल नूर मस्जिद और लिनवुड इस्लामिक सैंटर में प्रार्थना कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया। उसमें 51 लोग मारे गए और 50 से अधिक लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए। एक व्यक्ति पर हमले के सम्बन्ध में अपराधों का आरोप लगाया गया है और वह [केस की] सुनवाई का इंतजार कर रहा है।

(2) सरकार ने घोषणा की है कि एक राजकीय आयोग नियुक्त किया जाएगा, इस बात की जाँच करने के लिए कि हमले से पहले स्टेट सैक्टर (राज्य क्षेत्र) की एजेंसियों को उस व्यक्ति की किन गतिविधियों की जानकारी थी, उन्होंने उस सूचना के साथ क्या, यदि कुछ, किया था, एजेंसियां उस हमले को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकती थीं, और भविष्य में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए एजेंसियों को क्या उपाय करने चाहिए।

(3) इन्क्वायरी को इन मामलों पर तत्काल रिपोर्ट देने की जरूरत है ताकि सरकार के पास इन मामलों पर एक स्वतंत्र और आधिकारिक रिपोर्ट हो जिससे उसके मुस्लिम समुदायों सहित, न्यूज़ीलैंड की जनता को आश्वस्त किया जा सके कि सम्बद्ध स्टेट सैक्टर एजेंसियों द्वारा उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए सारे उपयुक्त कदम उठा रही हैं।

(4) सरकार को उम्मीद है कि जाँच इन मामलों में न्यूज़ीलैंड के मुस्लिम समुदायों से जुड़ सकेगी।

(5) सरकार को आश्वासन प्राप्त हुए हैं और वह आशा करती है कि इस पर जाँच करने और उस पर रिपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे और जाँच के महत्त्व को देखते हुए सभी प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियां, अधिकारी और कर्मचारी जाँच में सहायता देने की भरपूर कोशिश करेंगे।

अनुसूची खंड 1(1): संशोधन आदेश (एलआई 2019/105) 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर हमले की रॉयल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी (राजकीय जाँच आयोग) की खंड 6(1) द्वारा 22 मई 2019 को प्रतिस्थापित किया गया।

2 जाँच का उद्देश्य और महत्व का विषय (सार्वजनिक महत्व का मामला)

सार्वजनिक महत्व के कारण इस इन्क्वायरी को निम्न की जाँच करने के लिए निर्देशित किया जाता है-

(a) प्रासंगिक राज्य क्षेत्र एजेंसियों को हमले से पहले क्राइस्टचर्च में अल नूर मस्जिद और लिनवुड इस्लामिक सैंटर पर 15 मार्च 2019 के हमले के सम्बन्ध में उस व्यक्ति की, जिस पर इन हमलों से सम्बन्धित आरोप लगाया गया है, गतिविधियों के बारे में क्या जानकारी थी; और

(b) प्रासंगिक राज्य क्षेत्र एजेंसियों ने इस जानकारी के परिणामस्वरूप क्या कार्रवाई (यदि कोई) की थी; और

(c) क्या ऐसे कोई अतिरिक्त उपाय थे जिनका प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियां हमले को रोकने के लिए प्रयोग कर सकती थीं; और

(d) भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं।

3 जाँच का दायरा

अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इन्क्वायरी को निम्न की जाँच करनी चाहिए—

(a) हमले से पहले उस व्यक्ति की गतिविधियां, निम्न सहित—

  (i) ऑस्ट्रेलिया में उसके समय से सम्बन्धित जानकारी; और

  (ii) न्यूज़ीलैंड में उसका आगमन और निवास; और

  (iii) न्यूज़ीलैंड में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी यात्रा; और

  (iv) उसने बंदूक लाइसेंस, हथियार, और गोला बारूद कैसे प्राप्त किया; और

  (v) उसके द्वारा सामाजिक मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया का उपयोग; और

  (vi) दूसरों के साथ उसके कनेक्शन (सम्बन्ध), चाहे न्यूज़ीलैंड में या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर; और

(b) हमले से पहले उस व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में प्रासंगिक राज्य क्षेत्र एजेंसियों को क्या जानकारी थी, उस जानकारी के परिणामस्वरूप क्या कार्रवाई (यदि कोई) की गई थी, और क्या ऐसे कोई अतिरिक्त उपाय थे जिनका प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियां हमले को रोकने के लिए प्रयोग कर सकती थीं; और

(c) क्या प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियों को हमले से सम्बन्धित जानकारी इकट्ठा करने या उसका साझा करने में, या वैधानिक बाधाओं सहित ऐसी सूचना पर कार्रवाई करने में कोई मुश्किलें थीं; और

(d) क्या हमले से पहले प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा आतंकवाद का मुकाबला करने के संसाधनों का कोई अनुचित जमाव (इकट्ठा करने) किया या उसे प्राथमिकता दी गई थी।

4 ऐसे मामले जिन पर निष्कर्ष या परिणाम मांगे गए हैं

इन्क्वायरी के लिए जरुरी है कि वह निम्नलिखित मामलों पर अपने निष्कर्षों (परिणामों) की रिपोर्ट दे:

(a) क्या प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियों को कोई सूचना दी गई थी या अन्यथा उपलब्ध थी जो उन्हें हमले के प्रति सचेत कर सकती थी या उन्हें सतर्क किया गया था और, यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराई गई थी या अन्यथा उपलब्ध हुई थी, तो एजेंसियों ने ऐसी किसी सूचना का कैसे जवाब दिया था और क्या वह प्रतिक्रिया उपयुक्त थी; और

(b) प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियों के बीच बातचीत, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या प्रासंगिक एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान में कोई विफलता हुई थी; और

(c) क्या प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियां आतंकवाद का मुकाबला करने के संसाधनों के अनुचित संग्रहण (जमाव) के कारण हमले का अंदाजा लगाने में, या योजना बनाने में विफल रही थी या अन्य आतंकवाद के खतरों पर प्राथमिकताएं दी गई थी; और

(d) क्या कोई प्रासंगिक राज्य क्षेत्र एजेंसी आवश्यक मानकों को पूरा करने में विफल रही है या अन्यथा गलती पर थी, चाहे ऐसा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रहा हो; और

(e) जाँच के उद्देश्य से सम्बन्धित कोई भी अन्य मामला, पूरी रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यक सीमा तक।

5 ऐसे मामले जिन पर सिफारिशें मांगी गई हैं

(1) इन्क्वायरी को चाहिए कि निम्नलिखित के बारे में जो वह उचित समझे वे सिफारिशें पेश करे:

(a) क्या प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा सूचना एकत्र करने, साझा करने और विश्लेषण प्रथाओं में कोई सुधार करने से हमले को रोका जा सकता था, या भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सकता है, जिसमें समय पर काम करना, पर्याप्त रुप से ध्यान देना, प्रभावकारिता शामिल है, लेकिन इस तक सीमित नहीं है, और प्रासंगिक राज्य क्षेत्र एजेंसियों के बीच सूचना का खुलासा करना, साझा करना, या मिलान करना शामिल है; और

(b) भविष्य में ऐसे हमलों की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक राज्य क्षेत्र एजेंसी की प्रणालियों, या परिचालन प्रथाओं में सुधार करने के लिए क्या परिवर्तन, यदि कोई, को लागू किया जाना चाहिए; और

(c) एक पूरी रिपोर्ट प्रदान करने के लिए आवश्यक सीमा तक, ऊपर से प्रासंगिक कोई भी अन्य मामला।

(2) संदेह से बचने के लिए, सिफारिशें एक लोकतांत्रिक समाज के व्यापक रूप से स्वीकृत मूल्यों से सामंजस्य रखते हुए, कानून (लेकिन आग्नेयास्त्रों का कानून नहीं), नीति, नियम, मानक, या प्रथाओं, जो संदर्भ की शर्तों के अनुकूल हैं।

6 इन्क्वायरी के दायरे की सीमाएं

(1) जाँच अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार, जाँच को किसी व्यक्ति के नागरिक, आपराधिक या अनुशासनात्मक दायित्व का निर्धारण करने की शक्ति नहीं है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में गलती का निष्कर्ष निकाल सकती है या सिफारिशें पेश कर सकती हैं कि दायित्व को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएं।

(2) जाँच में ऐसे किसी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता की जाँच नहीं करनी चाहिए जिस पर हमले के सम्बन्ध में अपराधों का आरोप लगाया गया हो या लगाया जा सकता हो।

(3) इन्क्वायरी को निम्नलिखित मामलों में से किसी के भी बारे में जाँच नहीं करनी चाहिए, निर्धारित, या एक अंतरिम या अंतिम तरीके से रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए:

(a) आग्नेयास्त्र कानून में संशोधन (क्योंकि सरकार अलग से इस मुद्दे का अनुसरण कर रही है):

(b) राज्य क्षेत्र से बाहर की संस्थाओं या संगठनों की गतिविधि, जैसे कि मीडिया प्लेटफ़ॉर्म:

(c) राज्य क्षेत्र की प्रासंगिक एजेंसियों ने एक बार शुरू हो जाने के बाद 15 मार्च 2019 को हुए हमले का जवाब कैसे दिया था।

7 इन्क्वायरी अन्य जाँच या समीक्षाओं पर विचार कर सकती है

इन्क्वायरी में किसी अन्य जाँच के परिणाम या संदर्भ की शर्तों से प्रासंगिक मामलों की समीक्षा का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन यह ऐसी किसी भी जाँच के निष्कर्ष या सिफारिशों से किसी भी तरह से बाध्य नहीं है।

8 इन्क्वायरी अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों से परामर्श कर सकती है

(1) इन्क्वायरी खुफिया और सुरक्षा महानिरीक्षक सहित अन्य संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के साथ परामर्श कर सकती है, यदि उसके विचार में ऐसा करने से उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद मिलगी।

(2) सरकार को उम्मीद है कि इन्क्वायरी न्यूज़ीलैंड के मुस्लिम समुदायों के साथ अपने व्यवहार के बारे में जाँच में सहायता के लिए एक उपयुक्त योग्य व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी, और यह कि इन्क्वायरी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए जब भी ऐसा करने की जरूरत होगी, उन समुदायों से परामर्श करेगी।

9 जाँच का संचालन

अपनी जाँच करने में, इन्क्वायरी से निम्न की गवाही (सबूत) पर विचार करने की अपेक्षा है -

(a) प्रासंगिक एजेंसी अधिकारी और कर्मचारी; और

(b) मुस्लिम समुदायों के सदस्यों सहित अन्य प्रासंगिक व्यक्ति।

10 इन्क्वायरी के सिद्धांत

(1) टर्म्स ऑफ रेफरेंस (संदर्भ की शर्तों) में निर्धारित मामलों पर प्रभावी रूप से रिपोर्ट करने की जरूरत के अधीन, इन्क्वायरी को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने तथा रिपोर्ट को इस तरह से पेश करने का निर्देश दिया जाता है कि इसकी प्रक्रियाओं या उसकी रिपोर्ट, या इसके किसी भी हिस्से का उपयोग किसी व्यक्ति या समूह (हमले के सम्बन्ध में अपराधों के साथ आरोप लगाए गए व्यक्ति सहित) द्वारा अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, या अन्यथा सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाने की संभावना को कम किया जा सके।

(2) इन्क्वायरी को जिन मामलों की जाँच के लिए कहा गया है, उनका सम्बन्ध सीधे खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों सहित प्रासंगिक राज्य क्षेत्र की एजेंसियों की परिचालन पद्धतियों से है, जो गोपनीय हैं और जिनका जनहित में गोपनीय रहना

जरूरी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक सुरक्षा, न्यूज़ीलैंड सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति पूर्वाग्रह से बचाव और विश्वास के आधार पर न्यूज़ीलैंड सरकार को जानकारी सौंपने, और कानून का पालन करने के लिए है।

(3) तदनुसार, इन्क्वायरी को चाहिए कि, जहां कहीं भी जरूरी हो कि इस तरह की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, जाँच-पड़ताल को, या इसके किसी भी हिस्से को प्राइवेट (निजी) तौर पर पूरा किया जाए। इन्क्वायरी के लिए यह भी जरूरी है कि जाँच-पड़ताल की जानकारी (सबूत, प्रस्तुतियाँ, फैसले, सुनवाई प्रतिलिपि, और गवाहों या अन्य व्यक्तियों की पहचान सहित) के लिए उपयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए, जहां निम्न तरह के कदमों पर विचार करने की आवश्यकता है -

(a) [ऐसा करने] के लिए —

(i) न्यूज़ीलैंड की सुरक्षा या रक्षा हितों या न्यूज़ीलैंड सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रक्षा के लिए:

(ii) किसी अन्य देश या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्वास के आधार पर न्यूज़ीलैंड को प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की रक्षा के लिए:

(iii) गवाहों या अन्य व्यक्तियों की पहचान की रक्षा के लिए:

(iv) अपराधों की रोकथाम, जाँच, और पहचान सहित कानून के रख-रखाव के लिए पूर्वाग्रह से बचने के लिए:

(v) यह सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत निष्पक्ष ट्रायल (परीक्षण) अधिकार सुरक्षित हैं:

(vi) यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान या भविष्य में आपराधिक, नागरिक, अनुशासनात्मक, या अन्य कार्यवाहियां पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हैं; या

(b) किसी अन्य कारण के लिए जिसे इन्क्वायरी उचित समझती है।

(4) इनक्वायरी की रिपोर्ट को संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए (जैसा कि खुफिया और सुरक्षा अधिनियम 2017 की धारा 202 में परिभाषित है)।

अनुसूची खंड 10 (4): 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर हमले की राजकीय जाँच आयोग के खंड 6(2) द्वारा 22 मई 2019 को संशोधित, संशोधन आदेश 2019 (एलआई 2019/105)।

11 रिपोर्टिंग (रिपोर्ट करना)

(1) इन्क्वायरी के लिए जरूरी है कि वह निष्कर्षों और सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट लिखित रूप में गवर्नर-जनरल को लिखित रूप में, 10 दिसंबर 2019 तक, प्रस्तुत कर दे।

(2) सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कदम को बिना विलम्ब के उठाया जाना जरूरी है, एक बार नियुक्त किए जाने पर इन्क्वायरी को सभी संभव तात्कालिकता के साथ विचार करने का निदेश दिया जाता है कि क्या उसे गवर्नर-जनरल को अंतरिम सिफारिशें पेश करनी चाहिए, और यदि हां, तो उन अंतरिम सिफारिशों को कब पेश किया जा सकता है, और अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने से पहले किसी भी समय गवर्नर-जनरल को उन सिफारिशों को पेश किया जाना चाहिए।

(3) जाँच को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या इसकी जाँच से कोई मामले पैदा होते हैं -

(a) कि उसे खुफिया और सुरक्षा अधिनियम 2017 की धारा 192 में उल्लिखित खुफिया और सुरक्षा समिति को रिपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए; या

(b) जो प्रचालन रूप से संवेदनशील हैं, जिसमें खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना और उत्पादन विधियों या सूचना के स्त्रोतों से प्रासंगिक कोई भी मामला शामिल है, जिसकी उसे खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए उत्तरदायी मंत्री, या खुफिया और सुरक्षा के महानिरीक्षक, या दोनों को रिपोर्ट करना चाहिए; और

यदि हाँ, तो इसे रिपोर्ट या तदनुसार रिपोर्ट करने का प्रयास करना चाहिए।

गवाह में जहां कि हमने ऑवर कमीशन (अपने आयोग) के कारण जारी किया है और न्यूज़ीलैंड की सील hereunto वैलिंगटन में इस 8 अप्रैल 2019 के दिन जोड़ दिया है।

गवाह हमारे ट्रस्टी और सम्मानीय डेम पैट्सी रेड्डी, चांसलर और प्रिंसिपल डेम ग्रैंड कम्पेनियन ऑफ ऑवर न्यूज़ीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट, प्रिंसिपल कम्पेनियन ऑफ ऑवर सर्विस ऑर्डर, गवर्नर-जनरल और हमारे रीयल्म ऑफ न्यूज़ीलैंड (न्यूज़ीलैंड के दायरे) में और उसके ऊपर कमांडर-इन-चीफ

पैट्सी रेड्डी,
गवर्नर-जनरल।

Her Excellency (महामान्या) के आदेश से,

जसिन्डा आरडन,
प्रधान मंत्री।

परिषद में स्वीकृत,

माइकल वेबस्टर,
कार्यकारी परिषद के क्लर्क।

विधान अधिनियम 2012 के प्राधिकार के अंतर्गत जारी।

गज़ेट (राजपत्र) में अधिसूचना की तिथि: 8 अप्रैल 2019।

रीप्रिंट्स (पुनर्मुद्रण) नोट्स

1 सामान्य

यह आदेश 2019, 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर हमले में राजकीय जाँच आयोग का पुनर्मुद्रण है जिसमें उस आदेश में अंतिम संशोधन की तारीख तक सभी संशोधनों को शामिल किया गया है।

2 कानूनी स्थिति

पुनर्मुद्रण की तारीख तक, मूल अधिनियमन द्वारा अधिनियमित कानून और उस अधिनियमन में किसी भी संशोधन द्वारा पुनर्मुद्रण को सही ढंग से कथित माना जाता है। विधान अधिनियम, 2012 की धारा 18 में यह प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित इस पुनर्मुद्रण में उस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत आधिकारिक संस्करण की स्थिति है। इस आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण से सीधे उत्पादित पुनर्मुद्रण का एक प्रिंट किया गया संस्करण का भी आधिकारिक दर्जा है।

3 संपादकीय और प्रारूप में परिवर्तन

पुनर्मुद्रण के लिए संपादकीय और प्रारूप परिवर्तन कानून अधिनियम 2012 की धारा 24 से 26 के तहत शक्तियों का उपयोग किया जाता है। http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/ को भी देखें।

4 इस पुनर्मुद्रण में शामिल संशोधन

क्राइस्टचर्च मस्जिदों पर 15 मार्च 2019 को हुए हमले की राजकीय जाँच आयोग संशोधन आदेश 2019 (LI 2019/105